न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश, (पॉक्सो–प्रथम), अम्बेडकरनगर।

उपस्थितिः–सुशील कुमार–चतुर्थ, **J.O. CODE-UP6480** उच्चतर न्यायिक सेवा,

जमानत आवेदन सं0–164 / 2022 **कम्पयूटर सं0–1771 / 2022**

CNR NO. UPAN-010034512022

1– अखिलेश आयु लगभग 24 साल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम–दादनपुर, थाना–अलीगंज, जनपद–अम्बेडकरनगर।

2– चन्द्रशेखर आयु लगभग 20 साल पुत्र रामअरज, निवासी ग्राम–रामपुर मंगुरा डीला, थाना–सम्मनपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर। –––––––––––––––– **प्रार्थी / अभियुक्त।**

प्रति

उत्तर प्रदेश सरकार। –––––––––––––––––––––––––––––––––––– **विपक्षी।**

मुकदमा अपराध संख्या–210 / 2022
धारा–363, 366 भा0दं0सं0
एवं धारा–16 / 17 पॉक्सो एक्ट,
थाना–अहिरौली, जनपद–अम्बेडकरनगर।

18–11–2022

हस्तगत जमानत आवेदन प्रार्थीगण / अभियुक्तगण अखिलेश व चन्द्रशेखर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–210 / 2022, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0दं0सं0 एवं धारा–16 / 17 पॉक्सो एक्ट, थाना–अहिरौली, जनपद–अम्बेडकरनगर के अर्न्तगत प्रस्तुत किया गया है।

मैने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि *प्रार्थी राममिलन पुत्र स्व0 सम्पति ग्राम गौरा बसन्तपुर, थाना–अहिरौली, जनपद–अम्बेडकरनगर का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की लड़की पीड़िता दिनांकः 20–08–2022 को समय लगभग 9:00 बजे मालती मार्डन स्कूल विजय नगर, कटेहरी पढ़ने के लिए गई, शाम छुट्टी होने के बाद प्रार्थी की पुत्री अपनी साईकिल से कटेहरी बाजार प्राइमरी पाठशाला के पास पहुॅची थी, तभी अखिलेश पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम पता अज्ञात व चन्द्रशेखर पुत्र रामअरज ग्राम–रामपुर मंगुरा डीला थाना–सम्मनपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर बहला फुसलाकर प्रार्थी की लड़की को भगा ले गये। प्रार्थी द्वारा काफी खोजबीन किया गया परन्तु कुछ पता नहीं चला। प्रार्थी की लड़की की उम्र 12 वर्ष है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा की जावे।* उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत थाना–अहिरौली पर प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया।

जमानत आवेदन में यह अभिकथन करते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है महज रंजिश की वजह से प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा की प्रार्थी के गांव में रिश्तेदारी है प्रार्थी व वादी मुकदमा के रिश्तेदार के मध्य जमीन की बात को लेकर विवाद हो

गया। वादी मुकदमा विवाद के समय मौजूद थे, प्रार्थी द्वारा कहा गया कि आप रिश्तेदार हैं जो हमारे भी रिश्तेदार है आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे है। प्रार्थी के साथ अखिलेश भी मौजूद था, अखिलेश द्वारा भी यही बात कही गयी। वादी मुकदमा काफी नाराज हो गया, प्रार्थी को अपशब्द कहने लगा। विवाद हो जाने के कारण वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। तथाकथित घटना के बाबत प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है तथाकथित घटना के समय प्रार्थीगण शहर जोधपुर में थे। प्रार्थी चन्द्रशेखर को सूचना मिली कि चन्द्रशेखर के पिता बीमार है। चन्द्रशेखर अपने मित्र अखिलेश के साथ अपने घर आया तथा अहिरौली की पुलिस द्वारा प्रार्थीगण के घर से प्रार्थीगण को यह कहकर अपने साथ ले गये कि तुम लोगों से पूछतांछ करना है। प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथाकथित घटना के दो दिन बाद अंकित करायी गयी है। तथाकथित घटना के संबंध में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है और घटना दिन की बतायी गयी है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण दिनांकः 04–10–2022 से जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरूद्ध हैं। प्रार्थीगण अपनी सक्षम जमानत देने को तैयार हैं। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किए जाने की कृपा की जावे।

अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानत आवेदन पर वादी मुकदमा राममिलन द्वारा आपत्ति कागज सं08अ प्रस्तुत कर कथन करते हुए वादी मुकदमा की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे का वादी मुकदमा है तथा उपरोक्त मुकदमा का अपहृता का पिता है। दिनांकः 20–08–2022 को प्रार्थी की लड़की पीड़िता को मुकदमे का नामित अभियुक्त अखिलेश अपने साथ सह–अभियुक्त चन्द्रशेखर के उकसाने पर बहला फुसलाकर संभोग करने की नीयत से लखनऊ ले गया। वादी की पुत्री पीड़िता की जन्मतिथि 10–12–2010 है, जो लगभग 12 वर्ष से कम है। घटना के समय प्रार्थी की लड़की मालती मार्डन स्कूल विजय नगर, कटेहरी, जिला–अम्बेडकरनगर में कक्षा–8 की छात्रा है। घटना वाले दिन स्कूल से घर वापस आ रही थी। उपरोक्त अभियुक्तगण ने पीड़िता के साथ उपरोक्त घटना कारित करके गम्भीर प्रकृति का अपराध किया है और पीड़िता की सामाजिक प्रतिष्ठा शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करके समाज विरोधी निन्दनीय कार्य किया है, जो किसी भी दशा में क्षमा योग्य नहीं है। अभियुक्तगण के बाहर रहने पर पीड़िता की शिक्षा को प्रभावित करेंगे। वादी के उपरोक्त आपत्ति के आधार पर अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित है, जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके। अभियुक्तगण जेल से बाहर आने के बाद पीड़िता के साथ पुनः घटना कारित कर सकते हैं। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि वादी के उपरोक्त आपत्ति के आधार पर एवं विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण के उपरोक्त प्रार्थना पत्र को

निरस्त करने की कृपा की जावे। अति कृपा होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पर घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त अखिलेश ने सहअभियुक्त चन्द्रशेखर के साथ मिलकर पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षता से बहला फुसला कर व्यपहरण किया तथा उसका व्यपहरण अयुक्त संभाग करने के आशय से पीड़िता नाबालिग जानते हुए किया। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाये।

उभय पक्ष के तर्को तथा पत्रावली व अभियोजन प्रपत्रों के सम्यक् परिशीलन से विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को दिनांकः 20–08–2022 को समय लगभग 9:00 बजे पढ़ने हेतु स्कूल जाने पर शाम को छुट्टी होने के पश्चात् वापसी के दौरान अभियुक्त अखिलेश व चन्द्रशेखर द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाना अभिवर्णित है। पीड़िता कक्षा–9 की छात्रा व 12 वर्षीय नाबालिग है। धारा–161 व 164 दं0प्र0सं0 के तहत पीड़िता ने अभियुक्त चन्द्रशेखर से अपनी नानी के गांव में मुलाकात होना तथा फोन पर बात–चीत किया जाना एवं अभियुक्त चन्द्रशेखर द्वारा पीड़िता को अभियुक्त अखिलेश के साथ जोधपुर जाने के लिए कहने पर अभियुक्त अखिलेश के साथ जोधपुर के लिए लखनऊ जाना तथा लखनऊ में जोधपुर के लिए रेलगाड़ी की पूछ–तांछ करने के समय पुलिस वालों को देखकर अखिलेश द्वारा भाग जाना कहा है। पीड़िता की बरामदगी लखनऊ में उसके विद्यालय के पहचान–पत्र पर अंकित नम्बर को देखकर पुलिसकर्मियों द्वारा की गयी व पीड़िता के पिता को फोन करने पर हुई है। पीड़िता 12 वर्षीय कक्षा–9 में पढ़ने वाली छात्रा है, जिसके साथ अभियुक्तगण द्वारा विवाह, सम्भोग आदि के प्रयोजन से धारा–363, 366 भा0दं0सं0 व धारा–16/17 पॉक्सो एक्ट का अपराध कारित किया जाना कहा गया है एवं विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र भी प्रेषित हो चुका है। अपराध गम्भीर व गैर जमानतीय प्रकृति का है। प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

अतः मु0अ0सं0–210/2022, अन्तर्गत धारा–363, 366 भा0दं0सं0 व धारा–16/17 पॉक्सो एक्ट, थाना–अहिरौली, जनपद–अम्बेडकरनगर में अभियुक्तगण अखिलेश व चन्द्रशेखर का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो–प्रथम)
अम्बेडकरनगर।

दिनांकः 18–11–2022

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2022.11.18 15:46:45 GST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court